E/UMESH S.A.doc.101

राजस्थान, सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं

कमांकः एफ 11(3)53/मो./म.बा.वि/95 65938 जयपुर, दिनांक 9.9.10

परिपत्र

समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रसूति एवं गर्भपात अवकाश के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। भारत सरकार ने आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रसूति एवं गर्भपात अवकाश में कुछ और रियायतें प्रदान की हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र कमांक एफ न., **1-3/2010-CD-1** दिनांक 09.07.2010 के अनुसरण में विभाग के पूर्व सभी आदेशों के अतिकमण में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रसूति अवकाश/गर्भपात अवकाश निम्नानुसार तुरन्त प्रभाव से स्वीकृत किये जाने के निर्देश जारी किये जाते हैं :-

अ. प्रसूति अवकाश

1. इस अवकाश की अधिकतम अवधि 180 दिवस होगी। प्रसूति अवकाश आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका द्वारा गर्भावस्था के 8वें माह से कभी भी लिया जा सकता है।
2. प्रसूति अवकाश सुविधा अधिकतम दो बार देय होगी।
3. प्रसूति अवकाश की सुविधा उन्हीं कार्यकर्ता/सहायिकाओं को देय होगी जिनके दो से कम जीवित सन्तान हैं।
4. प्रसूति अवकाश के दौरान इन्हें पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जावेगा, जो कि वह प्रसूति अवकाश से पूर्व प्राप्त कर रही थी।

ब. गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश :-

1. यह अवकाश घटना के दिवस से अधिकतम 45 दिवस का होगा।
2. प्रसूति अवकाश के अतिरिक्त यह सुविधा एक ही बार देय होगी।
3. इस अवकाश की स्वीकृत करने के लिए कार्यकर्ता/सहायिका पर जीवित बच्चों की संख्या का उपबन्ध प्रभावी नहीं होगा।

स. प्रसूति, गर्भपात अथवा प्रसव दुर्घटना अवकाश उन्हीं कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को देय होगा, जिन्होंने न्यूनतम एक वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हैं।

द. कार्यकर्ता/सहायिका के इस प्रकृति के अवकाश पर जाने की स्थिति में केन्द्र की गतिविधियां प्रभावित नहीं हो, इसे ध्यान में रखकर वैकल्पिक व्यवस्था कर केन्द्र संचालन सुचारू रखा जावेगा।

य. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्ते पूर्वानुसार ही रहेगी यथा, अवकाश चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जावे। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्य करने वाली कार्यकर्ता/सहायिका को नियमानुसार अतिरिक्त मानदेय आदि का नियमानुसार भुगतान किया जावे । उक्तानुसार शर्त पूर्ण करने पर प्रसूति अवकाश, गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश की अवधि का आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका को पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जावे।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ 11(3)53/मो./म.बा.वि/95 65939-66322 जयपुर, दिनांक 9.9.10

प्रतिलिपि :

1. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मंत्री महोदया, महिला एंव बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग/कार्मिक विभाग,, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राज0 जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. जतिन्दर कौर, अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र कमांक एफ न. **1-3/2010-CD-1** दिनांक 09.07.2010 के कम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
7. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं।
10. कम्प्यूटर शाखा, कृपया यह आदेश वेबसाइट पर डालें।

अतिरिक्त निदेशक (शिशु)
समेकित बाल विकास सेवाएं